न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व विविध :– 122/2018

1. हरबंस सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण्रा सिंह जाति लबानासिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — वादी

—:: बनाम ::—

1. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित

धारा 136 एल.आर. एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1. श्री संजय कुमार जनवेजा अधिवक्ता —वादी
2. पैरोकार राज —प्रतिवादी

—:: निर्णय ::— दिनांक :—07.08.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/73 (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.200 हैक. नहरी कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरगुण सिंह अंकित हो गया है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

वादी का सही व पूरा नाम हरबंस सिंह है ताि वादी के वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व अन्य समस्त दस्तावेजों में सही नाम हरबंस सिंह अंकित है। नकल पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि संलग्न वाद पत्र है। सरपंच ग्रम पंचायत द्वारा भी यह प्रमाण पत्र तस्दीक कर जारी किया गया कि वादी का सही नाम हरबंस सिंह है। सरपंच द्वारा जारी तस्दीक संलग्न वाद पत्र है। उक्त नाम हरगुण सिंह वादी हरबंससिंह का ही दूसरा नाम है जो घर पर पुराका जाता है, जबकि सही नाम हरबंससिंह है। हरगुणसिंह नाम को कोर्ठ अन्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह नाम वादी का घर पर पुरारे जाने वाला नाम है। जो कि भूमि के रिकार्ड में सहवन से दर्ज हो गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम र्द करने के लिस अपादेवन/निवेदन किए है, मगर उन्होंने वादी का नाम सक्षम न्यायालय से बिना घोषणा करवाए, सही नाम दर्ज करनेद से इन्कार कर दिया है, इस कारण यह वाद पत्र लाना आवश्यक हो गया है तथा यही वाद कारण वादी को प्राप्त हुआ है। वाद पत्र पेश कर वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का नाम हरबंस सिंह घाषित किया जावे तथा वादी की कृषि भूमि चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख 81/73 का मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.200 हैक. नहरी कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि में वादी का नाम हरगुण सिंह के स्थान पर हरबंस सिह घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

([redacted])

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व से जवाब लिया गया । राजस्व पटवारी पटवार मण्डल कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर से स्टेट जवाब प्राप्त किया गया।

–:: आदेश ::–

उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 4 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख 81/73 का मुरब्बा नम्बर 24 की कुल 6.200 हैक. नहरी कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा कृषि भूमि में वादी का नाम हरगुण सिंह के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम हरगुण सिंह के स्थान पर हरबंस सिंह दर्ज किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 07.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *